रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092020-221527
**CG-DL-E-02092020-221527**

**असाधारण**
**EXTRAORDINARY**

**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)**
**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

**प्राधिकार से प्रकाशित**
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

**सं. 438] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 2, 2020/भाद्र 11, 1942**
**No. 438] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 2020/BHADRA 11, 1942**

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2020

**सं. 28/2020-सीमाशुल्क (एडीडी)**

**सा.का.नि. 544(अ).—**जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित 'सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड' (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2941 90 30 के अंतर्गत आती है, के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने प्राथमिक निष्कर्ष संख्या 6/36/2019-डीजीटीआर, दिनांक 15 जून, 2020, जिसे 15 जून, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में अनंतिम तौर पर इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि–

**(i)** विषयगत वस्तु का विषयगत देश से भारत को निर्यात बहुत सस्ते मूल्य पर किया गया है;

**(ii)** इससे यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;

**(iii)** घरेलू उद्योग को हुई यह क्षति इसके पाटित आयात के कारण हुई है;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अत: अब सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों

के आधार पर, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है तथा भारत में आयातित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा :–

**सारणी**

| क्र.सं. | टैरिफ मद | वस्तु का विवरण | मूलत: उत्पादन का देश | निर्यातक देश | उत्पादक | शुल्क की राशि | मुद्रा | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | 29419030 | सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड | चीन जनवादी गणराज्य | चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश | शांगयू जिंगशीन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड | 2.41 | अमेरिकी डालर | कि.ग्रा. |
| 2 | 29419030 | सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड | चीन जनवादी गणराज्य | चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश | झेजिआंग लांगहुआ फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड | 0.94 | अमेरिकी डालर | कि.ग्रा. |
| 3 | 29419030 | सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड | चीन जनवादी गणराज्य | चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश | झेजिआंग गुओबांग फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड | 1.90 | अमेरिकी डालर | कि.ग्रा. |
| 4 | 29419030 | सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड | चीन जनवादी गणराज्य | चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश | क्रम संख्या 1, 2 और 3 में उल्लिखित से भिन्न अन्य कोई उत्पादक | 3.29 | अमेरिकी डालर | कि.ग्रा. |
| 5 | 29419030 | सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड | चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश | चीन जनवादी गणराज्य | कोई भी | 3.29 | अमेरिकी डालर | कि.ग्रा. |

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छ: महीने की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

*स्पष्टीकरण* – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फा. सं. 354/95/2020–टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd September, 2020

**No. 28/2020-CUSTOMS (ADD)**

**G.S.R. 544(E).**—Whereas, in the matter of 'Ciprofloxacin Hydrochloride' (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff item 2941 90 30 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority *vide* its preliminary findings No. 6/36/2019-DGTR, dated the 15th June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 15th June, 2020, has provisionally concluded that-

(i) the subject goods have been exported to India from the subject country at dumped prices;

(ii) the domestic industry has suffered material injury;

(iii) the injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports;

and has recommended imposition of provisional anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, a provisional anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (8) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely:-

**TABLE**

| S. No. | Tariff item | Description of Goods | Country of Origin | Country of Export | Producer | Duty Amount | Currency | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | 29419030 | Ciprofloxacin Hydrochloride | China PR | Any country including China PR | Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd. | 2.41 | USD | Kg |
| 2 | 29419030 | Ciprofloxacin Hydrochloride | China PR | Any country including China PR | Zhejiang Langhua Pharmaceutical Co., Ltd. | 0.94 | USD | Kg |
| 3 | 29419030 | Ciprofloxacin Hydrochloride | China PR | Any country including China PR | Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd. | 1.90 | USD | Kg |
| 4 | 29419030 | Ciprofloxacin Hydrochloride | China PR | Any country including China PR | Any producer other than serial number 1, 2, and 3 | 3.29 | USD | Kg |
| 5 | 29419030 | Ciprofloxacin Hydrochloride | Any country other than China PR | China PR | Any | 3.29 | USD | Kg |

2. The provisional anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of six months (unless revoked, amended or superseded earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

*Explanation*.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time-to-time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/95/2020–TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.09.02 22:25:02 +05'30'